

## प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 26.01.2023

### **हत्या का आरोपी 03 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगीन अपराधो की रोकथाम एवं कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर द्वारा हत्या की सनसनी खेज घटना के मुख्य आरोपी जो कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 27/2023 धारा 302 भा0दं0स0 का नामित अभियुक्त शरदचन्द पाल पुत्र स्व0अशोक कुमार पाल निवासी खुर्रमपुर वार्ड न0 39 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को तत्काल गिरफ्तार किया गया । उक्त अपराधी शरदचन्द पाल द्वारा अवैध सम्बन्धो के चलते अपनी पत्नी की रस्सी से गला दबाकर कल दिनांक 25.01.2023 को सनसनी खेज तरीके से हत्या कर दी गयी थी । सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शरदचन्द पाल पुत्र स्व0अशोक कुमार पाल निवासी खुर्रमपुर वार्ड न0 39 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

#### गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 27/2023 धारा 302 भा0दं0स0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

#### बरामदगी-

हत्या में प्रयुक्त जूते की डोरी

#### गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण का नाम-

1. राजेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. शैलेन्द्र मिश्रा चौकी प्रभारी पाण्डेहाता थाना राजघाट, गोरखपुर
3. का0 रवि कुमार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
4. का0 फतेहबहादूर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
5. म0 का0 अन्नू सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर